तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-01-26	पत्रावली पेश हुई।	

दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।

प्रार्थना पत्र बाबत मौका रिपोर्ट पर आपित्त पर पर दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि सरहद मौजा पादरू तहसील सिवाना में प्रार्थीग्ण का संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1316 रकबा 7.1011 हैक्टेयर भमि में विप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1320 रकबा 02.4995 हैक्टेयर भूमि में से 20 फीट चौडाई संलग्न नजरी में दर्शित ए से बी बरंग लाल अनुसार रास्ता गै.मु. रास्ता घोषित रास्ता चाहा गया है, प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के एवज में क्षतिपूर्ति के रूप डी.एल.सी. दर की दुगनी राशि देने को सहमत है। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में आगे कथन किया कि तहसीलदार सिवाना द्वारा विवादित भूमि के मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट "अ" में बरंग केसरिया से जो रास्ता चालू बताया गया है व दूरी पर अवस्थित है तथा उक्त रास्ता कटाण नहीं है,प्रार्थीगण द्वारा आवेदन के संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित बरंग लाल ए से बी जो रास्ता चाहा है वो निकटतम व लघुत्तम रास्ता है,तहसीलदार सिवाना द्वारा खसरा संख्या 1320 में से प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है लिहाजा तहसीलदार सिवाना से पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जावे।

विप्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि तहसीलदार सिवाना द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न दर्शित बरंग केसरिया रास्ता वर्तमान में निर्बाध रूप से अनवरत चल रहा है तथा प्रार्थीगण उक्त रास्ते से अपने खातेदारी भूमि में आवगमन करते है। [illegible] परेशान करने की नियत से ही [illegible] काश्तकारी अधिनियम [illegible] वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो उक्त प्रावधानो के अन्तगत रास्ता नहीं दिया जा सकता है। लिहाज प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.10 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी व पत्रावली का अवलोकन व मनन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य मे विवेचन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर कर पुनः तहसीलदार सिवाना से मौका रिपोर्ट तलब करने का अनुतोष चाहा है। विप्रार्थीगण अधिवक्ता का अनुतोष प्रार्थीगण के खातेदारी में आवामगन हेतु पूर्व में रास्ता मौजूद होने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के प्रावधान अनुसारः—

(1) यह आवश्यक आत्यंतिक आवश्यक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है ;और

(2) अन्य खातेदार की जो में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुँचने के वैकल्पिक राधन का अभाव सिद्व किया गया हैः—

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा अनुसार नया रास्ता तब ही कायम किया जा सकता है जब आत्यंतिक आवश्यकता हो। यदि कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो तो नया रास्ता घोषित नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार सिवाना के रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के आवगमन को वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जिस पर पूर्व में प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि में आवागमन करते थे,प्रार्थीगण अपनी सुविधानुसार रास्ता प्राप्त करना चाहता है तथा मौके अनुसार प्रार्थीगण को कृषि कार्य करने के लिए आवागमन हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है।

लिहाजा तहसीसलदार सिवाना के रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को रास्ते के आत्यंतिक आवश्यकता नहीं होने व वैकल्पिक रास्ता मौजूद होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.10 15:17:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)